कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक– 810 /1 सी0 (वन) दिनांक 24/06/2017

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय– **प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2016 गोचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियो के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 13.06.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 द्वारा गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत है :–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	The village level committee (VLC) proceeding provided for only one village while as per village wise break up the proposed alignment passing through the boundary of three villages. The VLC for other two villages may upload along the FRA certificate in designated place in Part I.	ग्राम स्तरीय समिति में ग्राम ओब्याग्वाड, चखिल ग्वाड (ग्राम पंचायत सुनाक) एवं धनपुर के प्रपत्र F.R.A में Part I के बिन्दु K में अपलोड कर दिये गये है। संलग्न 1– एफ0आर0ए0
2	The data furnished in the district profile is appears to be incorrect as the total diverted land does not tally with the CA stipulation. The State Govt may review the information furnished and if required may clarify the differences.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
3	The density appears to be incorrect in online Part II and the NPV calculation is also not correct. The State Govt may review the same and provide correct density and NPV calculation in view of the tree felling involved.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
4	Details of wildlife in online Part II are not provided.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
5	As per the information regarding tree enumeration in hard copy of the proposal out of 964 trees. 734 trees are below diameter 0-10 cm therefore the trees proposed to be felled are 230 but the entry of 233 trees are made in online Part II, which may be corrected accordingly.	पार्ट–।। में 233 वृक्षों के स्थान पर 230 वृक्ष आपके स्तर से अंकित किये जाने है।

6	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 4.46 ha proposed for CA, 2 ha is moderately dense forest. State Govt may replace this 2 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, SoI topohseet map and KML file of the complete 4.46 ha CA area again after making the above change.	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 4.46 ha भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपड हेतु ग्राम–सिन्द्रवणी लग्गा झिरकोटी में 2 ha में moderately dense forest होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपड़ हेतु 2.00 हे. अन्यत्र भूमि का ग्राम बौंला सेरा में चयन किया गया है। जिससे सम्बन्धित मानचित्र एवं प्रमाण पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक सं0 194 / 1सी0 वन दिनांक 23.2.2017 द्वारा प्रेषित किये जा चुके है।
7	The area 0.130 ha is marked for muck dumping in the civil land which is not clear that is it included in the area proposed for diversion. If the area marked for muck dumping attracts FCA, 1980 it should be a part of area proposed for diversion. The State Govt may revise the proposal accordingly and all necessary documents may be corrected accordingly in online Part I and II. The State Govt may propose the muck dumping in private land with provided NOCs of land owners to this office	मकडिस्पोजल स्कीम वन पंचायत भूमि में ली गयी है। प्रस्ताव में 2.100 हे0 वन पंचायत एवं मकडिस्पोजल हेतु 0.130 हे0 भूमि को सम्मिलित करते हुये कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मकडिस्पोजल स्कीम हेतु वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त सिविल भूमि / नाप भूमि उपलब्ध नही हैं।

संलग्न– 1– एफ0आर0ए0 की छायाप्रति

भवदीय

24/6/17

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

24-6-17

26/6/17

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated---** 26/05/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.230 hectares of forest land propose d to be diverted in favour of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of new motor road "Extension of Gauchar-Sidoli-Dhanpur motor road" in Chamoli district falls within jurisdiction, Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur village (s) in Karanprayag tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.230 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Obyagwad, Charkhilgwad & Dhanpur ' sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 26.5.2015... at time 14:00 hrs at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.230 hect for the construction of "Extension of Gauchar-sidoli-Dhanpur motor road" and forest land 2.230 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 26/05/2015

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार के निर्माण हेतु 2.100 है0 वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 है0 कुल 2.230है0 भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति......कर्णप्रयाग....

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार हेतु (आरक्षित वन भूमि ...x..... है0, वन पंचायत भूमि 2.100 हे0, मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे0 अर्थात कुल 2.230हे0 वन भूमि) का **अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0. गौचर** के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **कर्णप्रयाग**) की दिनांक 25/3/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....विवेक प्रकाश.... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1– श्री...विवेक प्रकाश... उपजिलाधिकारी, पोखरी अध्यक्ष।
2 श्री.......[illegible]...... उप प्रभागीय वनाधिकारी केदानाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर,सदस्य।
3– श्री ....[illegible].... सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपेश्वर सदस्य/सचिव
4– श्रीमती प्रभा देवली बी0डी0सी0 क्षेत्र....पचायत.............................सदस्य

श्रीमती प्रभा देवली
सदस्य
क्षेत्र पंचायत देवल (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि गौचर–सिदोली **मोटर मार्ग के विस्तार** निर्माण हेतु 2.230है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,**केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस संबंध में ग्राम/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत गौचर–सिदोली **मोटर मार्ग** के विस्तार निर्माण हेतु 2.230हे0 वन भूमि को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–~~पोखरी~~ कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–~~पोखरी~~ कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

महिपाल सिंह नेगी, सदस्य क्षेत्र पंचायत कनखोली
मालचंद्र पुरोहित, सदस्य क्षेत्र पंचायत सिरसाऊ वार्ड

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग का विस्तार के निर्माण हेतु 2.100 है0 वन पंचायत एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130है0 कुल 2.230है0 भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–ओब्या ग्वाड़

तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर–सिदोली मोटर मार्ग के विस्तार निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि,...X.. हे0 सिविल सोयम भूमि.....X...,है0 वन पंचायत भूमि 2.100 हे0) एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.130 हे0,अर्थात कुल 2.230 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **ओब्या ग्वाड़** द्वारा दिनांक..9/2/15.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि काय है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि मे किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ओब्या ग्वाड़, चरखिल ग्वाड़ एवं धनपुर के** ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.230 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव मुहर सहित

ह0/– ग्राम प्रधान/सरपंच मुहर सहित

नोटः–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजि भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र--23.1

दिनांक 10-02-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ओवरया ग्वाड़.........

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह चौधरी	Sa
2	सुदर्शन सिंह चौधरी	[illegible]
3	देवेन्द्र सिंह चौ०	[illegible]
4	सुनीता चौधरी	सुनीता
5	शिवानी चौधरी	Shivani
6	[illegible] चौधरी	[illegible]
7	जयवीर सिंह चौधरी	Jawi
8	हीरापाल सिंह	हीरापाल
9	भगत सिंह	भगत सिंह
10	रमेश सिंह	रमेश चौ०
11	सुनील सिंह	सुनील
12	बिरेन्द्र सिंह	Berend Singh
13	सन्तोष सिंह	सन्तोष
14	लखपत सिंह	लखपत सिंह
15	शान्तिदेवी	Shanti
16	भरत सिंह	भरत सिंह चौ०
17	भागा देवी	भागा देवी
18	हरेन्द्र सिंह	हरेन्द्र सिंह
19	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
20	सुशीला देवी	सुशीला देवी

21 – सुखवीर सिंह — सुखवीर सिंह
22 – सरादा सिंह — सरादा सिंह
23 – जशपाल — जशपाल
24 राजपाल — राजपाल
25 संजय सिंह
26
27 लक्ष्मण सिंह — [illegible]
28 – गोविन्द सिंह — गोविन्द सिंह
29 – महेशी देवी — महेशी देवी
30 – हीरा देवी — हीरा देवी
31 – किशना देवी — किशना देवी
32 – सुखदेव सिंह — सुखदेव सिंह
33 – संजय सिंह — [illegible]
34 – हरीश चौधरी — हरीश चौधरी
35 कमला देवी — कमला देवी
36 सुरजपाल सिंह — सुरजपाल सिंह
37 जगदीश सिंह — जगदीश सिंह
38 – सुमन सिंह — सुमन सिंह
39 नरेश सिंह — नरेश सिंह
40 विरेन्द्र सिंह — विरेन्द्र सिंह

ह0 / –
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत ओवरया ग्वाड़
ह० [illegible]
ह० [illegible]
वि.ख. कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र--23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचयत भूमि एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम --**चर्खिल ग्वाड़**
तहसील--कर्णप्रयाग, जिला--चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार** हेतु **(वन पंचायत भूमि 2.100 हे0 एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल**) अर्थात **कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि** का **अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत चर्खिल ग्वाड़** द्वारा दिनांक 21.6.10.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **चर्खिल ग्वाड़** के ग्रामवासियों को **2.230 हे0 वन पंचायत भूमि** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम सचिव
(stamp: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ...)

ह0/–
ग्राम प्रधान
(stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ... वि.ख. कर्णप्रयाग (चमोली))

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र 23.1

दिनांक 21.6.2017...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – बखिल ग्वाड

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1 -	राम सिंह S/o गौर सिंह	रामसिंह
2 -	बख्तावर सिंह S/o शेर सिंह	[illegible]
3 -	जीतपाल सिंह	[illegible]
4 -	सीताराम सिंह	[illegible]
5 -	शीला देवी	शीला देवी
6.	वीरेन्द्र सिंह	[illegible]
7	बुद्धी सिंह	बुद्धीसिंह

ह0/ [illegible]
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत सुनाऊ
वि.ख. कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 2.100 हे0 वन पंचयत भूमि एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल हेतु कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम –**ओब्याग्वाड/धनपुर**
तहसील–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में **राज्य योजना के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार** हेतु **(वन पंचायत भूमि 2.100 हे0 एवं 0.130 हे0 मक डिस्पोजल**) अर्थात **कुल 2.230 हे0 वन पंचायत भूमि** का **अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में **ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड/धनपुर** द्वारा दिनांक 21.6.2012 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनाषत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ओब्याग्वाड/धनपुर** के ग्रामवासियों को **2.230 हे0 वन पंचायत भूमि** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड
विकास खण्ड कर्णप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड
ह0........
वि.खं. कर्णप्रयाग (चमोली)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 21.06.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत –ओब्याग्वाड/धनपुर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बलवन्तसिंह	
2	रमेशसिंह	
3	मुकुन्दसिंह	
4	कुलानावर	
5	जीतपाल	
6	सोनासिंह	
7	त्रिलोकसिंह	
8	गोदाम्बरी देवी	
9	श्रीमती देवी	
10	धुड़शीलादेवी	
11	सत्तावादेवी	
11		
12	धुड़शीलादेवी	

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत ओब्याग्वाड़ वि.खं. कर्णप्रयाग (चमोली)